न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 132/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
किस्तुरी पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी ग्राम लोहावट विशनावास तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1– अशोक कुमार पुत्र भागीरथराम 2– सुनिल कुमार पुत्र भागीरथराम 3– हरीश कुमार पुत्र भागीरथराम 4– मीरा पत्नी भागीरथराम सभी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम कानासर तहसील बाप, जिला जोधपुर 5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–3–2022 जिसे उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2022 अनवान अशोक कुमार वगैरा बनाम तहसीलदार बाप मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 1–6–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम हनुमानगढ के खसरा नंबर 219/28 रकबा 6.0703 हेक्टेयर प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी की है तथा खसरा नंबर 219/32 रकबा 1.2141 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 4 की है । प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि तहसीलदार बाप के आदेश दिनांक 14–1–2022 की पालना मे हल्का पटवारी मौके पर पहुंचा लेकिन विवाद खडा हो गया । अतिक्रमी लोग प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि की पैमाईश नही करने दे रहे है इसलिए प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार बाप को ही पक्षकार बनाया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए बिना पैमाईश रिपोर्ट के ही पत्थरगढी बाबत अषीलाधीन आदेश दिनांक 16–3–2022 को पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाये जाने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया था तथा पत्रावली अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु दिनांक 16–3–2022 को रखी हुई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया जाने के बावजुद अपीलांट का आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारीज करते हुए उनके समक्ष रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उक्त धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश होने से पहले ही अपीलांट की ओर से एक प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमे अपीलांट खसरा नंबर 219/18 रकबा 4.0469 हेक्टेयर की रेकर्डेड खातेदार है एवं अपीलांट के खातेदारी की भूमि की तरमीम नक्शा ट्रेस मे गलत की हुई है, उस तरमीम को दुरस्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र विचाराधीन है इसलिए अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0गणं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 आर.एल. आर.एक्ट मे आवश्यंक एवं हितबद्ध पक्षकार थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना तथा जल्दबाजी मे अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र मे स्वीकार किया है कि मौके पर पैमाईश के संबंध मे विवाद है इस कारण पैमाईश कार्य सम्पन्न नही हो पा रहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट के ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि पत्थरगढी के आदेश निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट पडौसी खातेदारो की मौजुदगी मे रेकर्ड पर होने पर ही आदेश पारित किये जा सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट की राजस्व नक्शे मे तरमीम वर्तमान कब्जे के विपरीत है, रेस्पो0 ने जिस स्थान पर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश हासिल किया है, उस स्थान पर अपीलांट का कब्जा है इसलिए जब तक अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के

प्रार्थनापत्र का निर्णय होकर सही तरमीम नही हो जाती है तब तक पत्थरगढी के आदेश पारित किये ही नही जा सकते थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–3–2022 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट वर्तमान मे राजस्व नक्शे अनुसार मेरी खातेदारी भूमि का किसी दिशा का पडौसी खातेदार नही है इसलिए अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र बाबत अपील पेश करने की अनुमति का खारीज करने का निवेदन किया तथा कथन किया कि अपीलांट को इस न्यायालय मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार ही नही होने से इसी आधार पर अपीलांट की उक्त अपील खारीज करने का निवेदन किया।

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न फर्द मौका दिनांक 23–3–2022 की प्रस्तुत की जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश की पालना मे मौके पर सीमांकन एवं पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट का यदि अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेंडिंग है तो उसमे आदेश पारित करवाने हेतु चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की बहस के प्रत्युत्तर मे पुनः कथन किया कि अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का रेस्पो0 ने अब तक कोई जवाब या खण्डन नही किया है । अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी जवाब मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे लंबित धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय से नक्शे मे सही तरमीम होने पर मै रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का पडोसी खातेदार बनूंगा, जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे ही पेण्डिंग था तो उक्त प्रार्थना पत्र के पेण्डिंग रहते पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को भी पेण्डिंग रखा जाना चाहिये था ।

अपीलांट अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड करे कि अधीनस्थ न्यायालय मे लंबित अपीलांट के

पर विधिवत दोनो पक्षकारो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णित करे उसके पश्चात रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को विधिसम्मत तरीके से निर्णित करें ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0गण द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम् के प्रार्थना पत्र पर पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–3–2022 की पालना मे मौके पर दिनांक 23–3–2022 को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है तो अपीलांट को अब इस अपील मे किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है । अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे लंबित धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे पारित होने वाले निर्णय से ही अपीलांट को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त हो सकता है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–3–2022 आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार बाप को पक्षकार बनाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे मौके पर विवाद होने से पैमाईश कार्य सम्पन्न नही हो सका, का स्पष्ट उल्लेख होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सख्या 1 से 4 के पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पैमाईश एवं पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है । पैमाईश के दौरान मौके पर विवाद रेस्पो0 के मौके पर कब्जा काश्त नही होने के कारण भी संभव है । इस पहलू को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया है व हितबद्ध पक्षकारो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है ।

जब अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनमय का तरमीम दुरस्ती का प्रस्तुत कर रखा था जिसमे अपीलांट के खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 219/18 रकबा 4.0469 हेक्टेयर की तरमीम को दुरस्त करवाने हेतु लंबित था इसलिए अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया था, पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब मे दिनांक 16–3–22 को रखी हुई थी तथा तहसीलदार की ओर से कोई जवाब अथवा खण्डन नही किया जाने पर भी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम

10 सीपीसी का खारीज करते हुए उसी दिन अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही है ।

इसके अलावा वर्तमान मामले मे जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम का तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था जिसमे अपीलांट के खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 219/18 रकबा 4.0469 हेक्टेयर की तरमीम को दुरस्त करवाने हेतु लंबित था तो ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को पेण्डिंग रखते हुए पहले धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना चाहिये था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–3–2022 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रथमतः तरमीम शुद्धि हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे लंबित प्रकरण को विधिवत सुनवाई की जाकर निस्तारित किया जावे तत्पश्चात अगर आवश्यक हो तो उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे विधिवत सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही अमल मे लाई जावे ।

निर्णय आज दिनांक 1–6–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर